सराहनीय कार्य, जालौन पुलिस
दिनांक 24.03.2024

कोतवाली उरई पुलिस टीम द्वारा अन्तर्गत धारा 302/34 भादवि में वांछित मुख्य अभियुक्त को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 01 अदद तमन्चा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस व 01 अदद खोखा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया।

दिनांक 15.03.2024 को कोतवाली उरई में अन्तर्गत धारा 302/34 भादवि के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था। उक्त अभियोग में वांछित मुख्य अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम को लगाया गया था, जिसके फलस्वरूप दिनांक 24.03.2024 को कोत0 उरई पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्र में रोकथाम अपराध, चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति, लुटेरे, वाहन चोर / वांछित अपराधी एवं पतारसी सुरागरसी के दौरान मुखबिर की सूचना पर तत्परता से कार्यवाही करते हुए घटना में वांछित मुख्य अभियुक्त मनीष उर्फ बबलू नाई पुत्र राजाराम नि0ग्राम तुलसीनगर गोपाल गंज उरई कोतवाली उरई जनपद जालौन को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया तथा कब्जे से अवैध असलाह कारतूस बरामद कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी है। उक्त अभियोग में दिनांक 17.03.2024 को 03 अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जा चुकी है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1- मनीष उर्फ बबलू नाई पुत्र राजाराम नि0ग्राम तुलसीनगर गोपाल गंज उरई कोतवाली उरई जनपद जालौन

बरामदमी का विवरण –

1- 01 अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस व 01 अदद खोखा कारतूस।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- प्रभारी निरीक्षक कोतवाली उरई मय पुलिस टीम।